(8)

संख्या-सा-3-1519/दस-1997

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 1997

विषय :— मृत्यु एवं सेवानिवृत्त/उपादान (देय-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) के विलम्ब से अदायगी पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

शासनादेश संख्या-सा-3-2102/दस-971/90, दिनांक 6-12-94 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के उपरान्त मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान की धनराशि का भुगतान किये जाने पर उसी दर पर ब्याज अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी है जैसा कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की संहत जमा धनराशि पर (वर्तमान में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष है) समय-समय पर अनुमन्य होता है। इसी शासनादेश में यह भी व्यवस्था है कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें प्रशासकीय विलम्ब के कारण ब्याज की अदायगी हो जाती हो, उनमें विलम्ब के लिए जिम्मेदारी नियत करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस संबंध में शासन के समक्ष कतिपय जिज्ञासा संदर्भित की गयी है। इन जिज्ञासाओं के समाधान हेतु स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है :—

जिज्ञासा	समाधान
1-ब्याज का स्वीकर्ता अधिकारी कौन होगा ?	ग्रेच्युटी पर ब्याज के भुगतान के स्वीकर्ता अधिकारी विभागाध्यक्ष होंगे।
2-इसका भुगतान किस स्तर से किया जायेगा ?	जिस स्तर से ग्रेच्युटी का भुगतान होता है उसी स्तर से उस पर ब्याज का भुगतान भी किया जायेगा।
3-क्या इसके लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा ?	इसके लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जाना अपेक्षित होगा।
4-आय-व्ययक में इसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था करायी जायेगी एवं किस लेखाशीर्षक/अनुदान सं0 के अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा ?	ब्याज के भुगतान की व्यवस्था शासन द्वारा अनुदान सं0 62 के अधीन लेखा-शीर्षक-2049 के अन्तर्गत कराई जाती है।
5-उत्तरदायित्व निर्धारण करने का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों का है अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करना और दण्डादेश पारित करने के लिए विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को अलग से निदेशित किया जाय।	ब्याज के भुगतान के लिए अलग से निर्देश जारी किया जाना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान के विलम्ब से अदायगी के शासनादेश संख्या-सा-3-2102/दस-971/80, दिनांक 6-12-1994 के अधीन ब्याज का भुगतान किया जाना अपेक्षित हो उन मामलों के निस्तारण में उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

2--इस प्रसंग में यह भी अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन/ग्रेच्युटी आदि की स्वीकृति यथा समय सुनिश्चित कराये जाने के लिए शासनादेश सं0 सा-3-2085/दस-907/76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 एवं शासनादेश सं0 सा-3-1713/दस-89-933/76, दिनांक 28-7-89 में जो समय सारिणी निर्धारित की गयी है, उसे समय सारिणी के अनुसार पेंशन संबंधी कागजातों पर यथा आवश्यक कार्यवाही सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष पहले ही प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए तभी से विभागाध्यक्ष/अधिकारियों आदि के द्वारा बकाया देय धनराशियों का पता लगाने अथवा निर्धारित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए और अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के लिए छानबीन भी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर दी जानी चाहिये तथा सेवानिवृत्ति से पहले सारी कार्यवाही यदि समय से पूरी कर ली जायें तो पेंशन/ग्रेच्युटी आदि के भुगतान में विलम्ब की सम्भावना नहीं रहेगी।

भवदीय,
शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव।

संख्या- सा- 3-1519 (1)/दस-1997, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--महालेखाकार (प्रथम, द्वितीय) लेखा एवं हकदारी--II, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2--राज्यपाल सचिवालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
3--सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, सचिवालय।
4---निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
5--निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6--सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश
संयुक्त सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0 --यू0 पी0 टी0 वित्त--7-8-97- (925)--1000--11,000 (सेक0)।